56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 328—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—11—2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार गोपद बनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 93/अ—6/2015—16.

.....

रामलखन गुप्ता तनय नमोनरायण गुप्ता
निवासी ग्राम कोतर कला तहसील
गोपद बनास जिला सीधी म0 प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती गोदावरी सिंह पत्नी विरेन्द्र सिंह चौहान
2—श्रीमती सरस्वती गुप्ता पत्नी अवधेश बानी
दोनो निवासी ग्राम कोतर कला तहसील
गोपद बनास जिला सीधी म0 प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार गोपद बनास जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—11—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक —1 गोदावरी पत्नी वीरेन्द्र सिंह चौहान निवासी कोतर कला तहसील गोपद बनास द्वारा म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता

1959 की धारा 109/110 के तहत तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। इश्तहार का प्रकाश किया गया तथा आपत्तिकर्ता श्री रामलखन गुप्ता के अधिवक्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पहले पटवारी प्रतिवेदन मंगाये तथा उसके पश्चात प्रतिपरीक्षण कराने का निवेदन किया जिसे तहसीलदार द्वारा आपत्तिकर्ता का आवेदन निरस्त किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक 2 के ग्राम कोतर कला तहसील गोपद बनास के स्थित भूमि खसरा कमांक 266/1 रकवा 0.047 है0 जो रोड रास्ता की खाली भूमि थी आवेदक की सीमावर्ती भूमि खसरा कमांक 265 की चौहददी दर्शाकर अनावेदिकी कमांक 1 को विक्री कर दिया जबकि आवेदक का आराजी कमांक 265 में रहायसी मकान बने हुये हैं। अनावेदकगण द्वारा आवेदक को बेदखल किये जाने बावत तहसील न्यायालय में धारा 250 भू–राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार तहसील गोपद बनास ने राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया मौके से नाप जोख पैमाइस पर विक्रीत आराजी नंम्बर 266/1 रकवा 0.047 है0 में नगर पलिका द्वारा सार्वजनिक निकास हेतु पी0 सी0 सड़क निर्मित होना तथा खाली भूमि न होना राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार गोपद बनास द्वारा अनावेदकगणों का वेदखली का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि कय शुदा आराजी का नामांतरण बावत तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत किया कि हल्का पटवारी से पटवारी प्रतिवेदन मंगाया जाय, उसके वाद साक्ष्य लिये जाय लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अनावेदकगणों से कोई जवाब लिया और न ही आवेदन पत्र का परिशीलन ही किया और मनमानी तौर से आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि तहसीलदार गोपद बनास का आदेश दिनांक 28.11.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जावे। यह भी अनुरोध किया गया है कि तहसीलदार गोपद बनास का आदेश दिनांक 28.11.16

उचित है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गोपद बनास द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि पटवारी का प्रतिवेदन मंगाया जाना और साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण किया जाना दोनों प्रकिया अलग अलग हैं जिससे उनके द्वारा आपत्तिकर्ता का आवेदन निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः तहसीलदार गोपद बनास का आदेश दिनांक 28.11.16 विधि प्रावधानों से उचित प्रतीत होता है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गोपद बनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 93/अ–6/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 28.11.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर